साइबर क्राइम पुलिस थाना, वाराणसी, कमिश्नरेट वाराणसी।

रिजर्व पुलिस लाइन , जनपद- वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत पिन नं.- 221002

सी.यू.जी. नं.-7839876647 **ई-मेल- sho-cybercrime.va@up.gov.in**

प्रेस नोट

दिनांक-08.04.2024

विषयः-फर्जी पुलिस व ट्राई अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 03 करोड़ 55 लाख का धोखाधड़ी करने के वाले 08 शातिर अभियुक्त अपने सरगना सहित गिरफ्तार, 05 अदद मोबाइल, चेक, एटीएम कार्ड सहित मुकदमे में संबन्धित - 3.70 लाख नगद बरामद।

आवेदिका शम्पा रक्षित निवासी, सिगरा वाराणसी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 8/3/2024 को वादिनी के मोबाइल नंबर पर अज्ञात मोबाइल नंबर से काल आया कि वह टेलिकाम रेगुलेटरी अथारिटी से बोल रहा है और 2 घण्टे में वादिनी का फोन बंद हो जायेगा। अभी वादिनी के पास पुलिस का फोन आयेगा। उसके तुरन्त बाद फोन आया वह अपने को विनय चौबे, विले पार्ले पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र का होना बताकर एक दूसरा मोबाइल नंबर बताते हुए कहा कि आपने घाटकोपर से यह मोबाइल नंबर लिया है और इससे आप अवैध काम कर रही है तो वादिनी ने बताया कि यह मोबाइल नंबर मेरा नही है, तो उस पर उन्होने बताया का आपके खिलाफ अरेस्ट वारण्ट है, आपको विले पार्ले पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा तो वादिनी कहा कि मै मुम्बई मे नही रहती हूँ, इसलिए नही आ सकती तो उन्होने अपने सिनियर से बात करने को बोला और वादिनी से SKYPE APP डाउनलोड करवाया इसके बाद इनके सिनियर से वादिनी की बात होने लगी जिसके द्वारा वादिनी को अरेस्ट होने की धमकी देते हुए गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर के अन्दर रहने तथा किसी को इसके सम्बन्ध में नही बताने हेतु बताकर वादिनी के परिवार का पुरा विवरण लिया गया और वादिनी के खाते का पुरा डिटेल चेक किया। इसके बाद उसने वादिनी को गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए वादिनी के खातो में आये पैसो को जांच करने हेतु सारे पैसों तथाकथित RBI को खाते में डालने को बताया और आश्वासन दिया कि जांचोपरान्त वादिनी के पैसे वापस आ जायेगे तथा अरेस्ट नही होंगी। इस तरह वादिनी के साथ कुल 03 करोड़ 55 लाख का धोखाधड़ी कर लिया गया है, जिस पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. – 0035/2024 धारा- 417, 420, 384, भा.द.वि. व 66 डी. आई.टी. एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया था जिस पर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री चन्द्रकान्त मीना द्वारा घटना का सफल अनावरण हेतु तीन टीमों का गठन किया गया था। जिसके पश्चात् अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री टी. सरवणन व सहायक पुलिस आयुक्त(अपराध) श्री गौरव कुमार द्वारा नेतृत्व करते हुए प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री विजय नारायण मिश्र की अगुवाई में साइबर क्राइम थाना वाराणसी टीम द्वारा तमामी इलेक्ट्रानिक विश्लेषण व सर्विलांस के उपरांत प्रकाश मे आये इस मुकदमे से संबन्धित 08 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों से पूछने पर बता रहे है कि हमलोग योजनापूर्वक पूर्व में प्राप्त विभिन्न मोबाइल नंबर पर फोन करते है और बताते कि आपका सिम टेलिकाम रेगुलेटरी अथारिटी द्वारा अवैध कार्यों में लिप्त होने के कारण बंद किया जा रहा है, इसके बाद हमलोग फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कुछ देर बाद फोन करते है और बताते है कि आपके द्वारा सिम के माध्यम के अवैध कार्य व पैसों का लेन देन किया जा रहा है , आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है , आपको पूछताछ हेतु थाने पर आना होगा और विश्वास दिलाने के लिए अपना एक फर्जी बेवसाइट का पता भी देते है और बताते है कि आप उस पर जाकर अपना अरेस्ट वारंट देख सकते है , आने में असमर्थतता जताने पर हमलोग SKYPE APP डाउनलोड करवाते है और स्क्रीन शेयर कर लेते है और परिवार व बैंक संबन्धित समस्त जानकारी ले लेते है , उसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाते है , लगातार दवाव बनाते हुए विश्वास में लेते है और खाते को चेक करते हुए पैसा होने पर , समस्त पैसा तथाकथित RBI के बैंक खाता में ट्रासफर करवाते है और विश्वास दिलाते है कि आपका पैसा बाद जांच करने वापस आपके खाते में आ जायेगा और इस तरह से हमलोग विभिन्न खातों पैसा ट्रासफर करा लेते है । इसी तरह से वाराणसी निवासी शम्पा रक्षित के फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 03 करोड़ 55 लाख का धोखाधड़ी कर लिया गया और खाते में आये हुए पैसों के पुरे भारत के विभिन्न जनपदों से योजनानुसार पूर्व में खोले गये खातों से चेक व ए.टी.एम. के माध्यम से निकाल लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- महेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र स्व. प्यारे लाल निवासी- 112-सी जी/एफ मोहम्मपुर गांव , आ.के. पुरम, थाना- आर.के. पुरम , जनपद- वेस्ट साउथ वेस्ट, दिल्ली-110066 उम्र करीब 54 वर्ष,
2- टीटू कश्यप पुत्र मुरारीलाल निवासी बी- 590 संगम बिहार , महरौली , थाना- तिगड़ी , जनपद- साउथ दिल्ली,दिल्ली -110062 उम्र करीब 30 वर्ष ,
3- सुशील कुमार यादव पुत्र गिरीश कुमार निवासी के-2/545 गली नं. 6बी , ब्लाक के , महिपालपुर, थाना- बसन्तकूंज, साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली – 110037 उम्र करीब 25 वर्ष ,
4- आकाश गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी म.नं.- 868 सेक्टर 23ए I T M UNIVERSITY के पास , कार्टपुरी, थाना- पालमपुर, जनपद- गुड़गांव, हरियाणा-122017 उम्र 29 वर्ष,
5- साहिल कटारिया पुत्र सतपाल कटारिया निवासी म.नं. -109 गली नं. -2, अशोक बिहार फेज 1, थाना- राजेन्द्र पार्क, जनपद- गुड़गांव, हरियाणा-122001 उम्र करीब 30 वर्ष।
6- तरूण सेहरावत पुत्र नरेश सहरावत निवासी 66/67 सुखराली, सेक्टर 17, थाना- सेक्टर 17/18, जनपद-गुड़गांव, हरियाणा-122001 उम्र करीब 28 वर्ष
7- सुनील विश्नोई S/O ओम प्रकाश निवासी-जयसिंह देशर मगरा थाना पांचू, बीकानेर राजस्थान व हाल पता- जम्भेश्वर नगर मुरलीधर व्यास कालोनी, थाना- नया शहर बीकानेर, राज0 उम्र करीब 32 वर्ष
8- मयंक भगेरिया पुत्र सत्यन भगेरिया निवासी जी-231, 1st फ्लोर, सेक्टर -57, सुशान्त लोक-2, नजदीक,हांगकांग बाजार, थाना – सेक्टर 56, गुरूग्राम, हरियाणा उम्र करीब 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1- मु.अ.सं. – 0035/2024 धारा 120बी, 417,420,384,465, 467,468,471,411 भादवि. व 66 डी, 74 आईटी साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी।
2- मु0अ0सं0 -0037/2024 धारा- 120बी,411, 417,420 भादवि. व 66डी आईटी एक्ट (सुनील विश्नोई)

बरामदगी का विवरणः-

मल्टीमीडिया एण्ड्राइड व ios - 06 अदद मोबाइल फोन ।
01 अदद एटीएम कार्ड ।
01 अदद चेकबुक
01 अदद आधार कार्ड
01 अदद पैन कार्ड,
02 अदद इंटरनेट बैंकिंग स्लीप
01 अदद फ्रिंगर प्रिंट स्कैनर मेगा डिवाइस
मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित नगदी- **3.70 लाख रूपये (तीन लाख सत्तर हजार रूपये नगद)।**

पुलिस टीम का विवरणः-

श्री विजय नारायण मिश्र - प्रभारी निरीक्षक।
निरीक्षक श्रीमती अनीता सिंह
उप निरीक्षक सतीश सिंह
उप निरीक्षक संजीव कन्नौजिया
उप निरीक्षक नीलम सिंह
हे.का./क.आ. श्याम लाल गुप्ता
हे.का. आलोक कुमार सिंह
हे.का. गोपाल चौहान
हे.का. गौतम कुमार
हे.का. अंकित कुमार प्रजापति
का. देवेन्द्र कुमार
का. पुनीता यादव
का. प्रीति सिंह

नोटः- उपरोक्त मुकदम के गिरफ्तारी में सर्विलांस सेल, कमिश्नरेट वाराणसी की भी विशेष भूमिका रही।

प्रभारी निरीक्षक
साइबर क्राइम पुलिस थाना,
कमिश्नरेट वाराणसी।